न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोक)

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र– 34/2018
निर्णय दिनांक– 03.01.2019

रामप्रकाश पुत्र श्योराज जाति मीना निवासी विजयगढ (धारोला) तहसील उनियारा जिला टोक

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1.श्री हरिराजसिंह वकील प्रार्थीगण
2.पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 177 कुल 2 रकबा 1.50 है0 ग्राम बिणजारी व खाता संख्या 103 कुल किता 8 रकबा 5.97 है0 वाके ग्राम विजयगढ तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। जिस पर प्रार्थी अपने हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम रामप्रकाश पुत्र श्योराज है, जो कि प्रार्थी के पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अंकित है। परन्तु राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम सहवन से गांव वाले ओमप्रकाश के नाम से पुकारने के कारण ओमप्रकाश पुत्र श्योराज दर्ज हो गया है। राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो जाने से प्रार्थी को आराजी का विसा कार्य करवाने, कृषि अनुदान प्राप्त करने आदि मे काफी परेशानी होती है। इस बाबत प्रार्थी ने तहसीलदार जी उनियारा से भी निवेदन किया परन्तु उन्होने श्रीमान के समक्ष कार्यवाही करने की हिदायत देने से उक्त प्रार्थना पत्र अदालत हाजा मे पेश किया गया है।

यह कि प्रार्थी का निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी आराजी खाता संख्या 177 ग्राम बिणजारी व खाता संख्या 103 ग्राम विजयगढ मे प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र श्योराज के स्थान पर रामप्रकाश पुत्र श्योराज कर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम दुरूस्त कर दिया जाने

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

पर राज्यहित प्रभावित नही होता है। सलंग्न दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अनुसार भी रामप्रकाश ही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल खाता संख्या 177 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 वाके ग्राम बिणजारी आराजी ख0न0 957 व 958 कुल किता 2 कुल रकबा 1.50 है0 मे ओमप्रकाश पुत्र श्योराज हिस्सा 1/4 जाति मीना सा0 विजयगढ खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 103 जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 ग्राम विजयगढ मे आराजी ख0न0 16, 17, 18, 236, 256, 333, 628/7, 634/34 कुल किता 8 कुल रकबा 5.97 है मे ओमप्रकाश पुत्र श्योराज हिस्सा 1/6 जाति मीना सा0 देह खातेदार दर्ज है। फोटो पहचान पत्र , परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड मे रामप्रकाश पुत्र श्योराज दर्ज है। नायब तहसीलदार पेरोकार राज ने अपने जवाब मे भी अंकित किया है कि प्रार्थी का नाम दुरूस्त किये जाने पर राज्यहित प्रभावित नही होता है। ग्राम पंचायत रानीपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार भी ओमप्रकाश पुत्र श्योराज व रामप्रकाश पुत्र श्योराज दोनों को ही एक नाम से जाना जाता है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व रेकार्ड तैयार करते हुये वास्तविक नाम रामप्रकाश के स्थान पर ओमप्रकाश गलत दर्ज किया गया है। जो दुरूस्ती योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम बिणजारी व विजयगढ की उक्त वर्णित आराजी मे दर्ज ओमप्रकाश पुत्र श्योराज के स्थान पर रामप्रकाश पुत्र श्योराज दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 03.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner